न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 63/2012 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00015

उनवान

1. पूरन पुत्र श्री भूरी सिंह जाति गूजर निवासी रसेरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. लीलावती वेवा स्व0 श्री दामोदर
2. राजन पुत्र श्री भूरी सिंह
3. सरूपी पत्नी राजन सिंह (मृतक)
   - 3/1. भीम पुत्र सरूपी
   - 3/2. सूरज पुत्र सरूपी
   - 3/3. सुमरन पुत्र सरूपी

   जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम रसेरी तह0 बयाना जिला भरतपुर।
   - 3/4. पुष्पा पुत्री सरूपी धर्मपत्नी देशराज निवासी भौंडे गॉव तहसील वैर जिला भरतपुर।
4. कमल पुत्र गिर्राज
5. बहादुर पुत्र गिर्राज

   जाति गुर्जर नि0 ग्राम रसेरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
6. रूपन पुत्र जैसीराम (मृतक)
   - 6/1. समन्दर पुत्र स्व0 श्री रूपन जाति गूजर निवासी रसेरी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
   - 6/2. झांझन पुत्री रूपन पत्नी पुखराज
   - 6/3. निहाली पुत्री रूपन पत्नी रामलाल

     जाति गुर्जर नि0 दुर्गेसी तह0 हिण्डौन, करौली।
   - 6/4. प्रेम पुत्री रूपन पत्नी बाबू
   - 6/5. तस्सी पुत्री रूपन पत्नी निर्भय

     जाति गुर्जर नि0 नांगल तह0 हिण्डौन जिला करौली।
   - 6/6. केशो पुत्री रूपन पत्नी रामकरन निवासी कंजौली तहसील टोडाभीम जिला करौली ।
7. जगन पुत्र श्री दाताराम (मृतक)
   - 7/1. धर्मी पत्नी स्व0 श्री जगन
   - 7/2. सुगर
   - 7/3. वावू
   - 7/4. चतर
   - 7/5. विरम
   - 7/6. नरसी

     पुत्र स्व0 श्री जगन

     जाति गुर्जर नि0 ग्राम रसेरी तह0 बयाना, भरतपुर।
   - 7/7. रौना पुत्री जगन पत्नी स्व0 श्री कप्तान जाति गूजर निवासी परऊआ मन्नापुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. बद्री पुत्र श्री दाताराम
9. भूरी सिंह पुत्र श्री मोताराम (मृतक)
   - 9/1. हंसो पत्नी स्व0 श्री भूरी सिंह
   - 9/2. कमर पुत्र श्री भूरी सिंह
   - 9/3. मुकेश पुत्र श्री भूरी सिंह
   - 9/4. रमेश पुत्र श्री भूरी सिंह

     जाति गुर्जर नि0 ग्राम रसेरी तह0 बयाना, भरतपुर।
   - 9/5. विरमा पुत्री भूरी सिंह पत्नी हरभान सिंह
   - 9/6. द्रोपा पुत्री भूरी सिंह पत्नी श्री हरीमोहन

     जाति गुर्जर नि0 चीरखन तह0 बयाना, भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

10. मौहर सिंह } जाति गुर्जर निवासी ग्राम रसेरी तहसील वयाना जिला भरतपुर।
11. राम सिंह }
12. हरी सिंह }
13. लाखन पुत्र श्री मोतीराम (मृतक)
    13/1. श्रीमती विरमा पत्नी स्व0 श्री लाखन
    13/2. राजेश पुत्र स्व0 श्री लाखन उम्र 13 वर्ष नावालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक स्वयं माता विरमा पत्नी स्व0 लाखन जाति गूर्जर।
    13/3. गुड्डी पुत्री लाखन उम्र 15 वर्ष नावालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक स्वयं माता विरमा पत्नी लाखन जाति गूर्जर निवासी मोतीराम का पुरा पोस्ट पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.09.2012 प्रकरण संख्या 203/2011 उनवान पूरन बनाम दामोदर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वयाना।

अभिभाषकगण :–

1. श्री गिरीश चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री पंकज कुमार अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–18.04.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 05.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादी/अपीलाण्ट अपने निस्फ हिस्से पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है। परन्तु विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 जो वादी का बडा भाई है, का कर्ता खानदान होने के कारण समस्त विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में उसके नाम दर्ज है। जबकि विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 का कोई पुत्र व पुत्री नहीं है। अतः वह दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है। जबकि पैतृक आराजी को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने का कोई अधिकार प्रतिवादी/रैस्पो0 को नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से जरिये अवैट खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि वादी/अपीलाण्ट का दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था जो कि प्रतिवादी/रैस्पो0 दामोदर के अलावा अन्य प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरूद्ध भी था। अतः

भू प्रवन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

केवल एक प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने के कारण पूरा दावा कानूनी रूप से अवैट नहीं हो सकता। फिर भी अधीनस्थ न्यायलय ने दावा वादी अपीलाण्ट को अवैट करने में कानूनी गलती की है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 01 दामोदर को दावे से पूर्व मृत मानने में तथ्यों व प्रमाण की गलती की है जब प्रतिवादी संख्या 02 राजन ने दिनांक 10.05.2012 को प्रार्थना पत्र पेश कर यह निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 दामोदर की मृत्यु दिनांक 10.07.2011 को दावा पेश होने से पूर्व हो चुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वादी अपीलाण्ट ने दिनांक 27.08.2012 को पेश कर निवेदन किया कि दौराने दावा दामोदर की मृत्यु हुई है। उक्त मृतक के कायम मुकाम वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 भी पेश कर दिया है तो अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था कि उक्त तथ्य पर निर्णय देने से पूर्व प्रमाणित तथ्यों की जॉच कराते। अधीनस्थ न्यायालय में ना तो असल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुआ एवं ना ही दामोदर के सम्मनो पर कोई फौती की सूचना आयी। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति पर विश्वास करते हुये पूरा दावा अवैट कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को दावा अवैट करने के स्थान पर धारा 153 जा0दी0 के तहत दावे में रही कमी व त्रुटि को सही करने का आदेश देना न्यायोचित होता। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 153 जा0दी0 के तहत पर्याप्त अधिकार हैं कि वह पक्षकार की अपील/दावे में रह गयी कमियों व त्रुटियो को सही कराने के लिये निर्देशित करते। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अन्त में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 1999 (6) पेज 108, 2011 पेज 41 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। दामोदर की मृत्यु दावा प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुकी थी। यदि रैस्पो0 का मृत्यु प्रमाण पत्र गलत था तो अपीलाण्ट ने सही मृत्यु प्रमाण पत्र पेश क्यों नहीं किया। दौराने दावा मृत्यु होने पर ही प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में दामोदर की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व हो गयी। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान लागू नहीं होगें। अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे साबित होता हो कि दामोदर की मृत्यु दौराने दावा हुयी हो। यदि अधीनस्थ न्यायालय एक ही व्यक्ति के विरूद्ध दावा अवैट करता तो भी विधि विरूद्ध ही था। क्योंकि बॅटवारे के दावे में सभी सहखातेदारो का पक्षकार होना आवश्यक है। अतः मृत व्यक्तियों के भी वारिस आयेंगें। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2016 पेज 625 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलाण्ट प्रकरण में दामोदर की मृत्यु दौराने दावा होना कथन करते हैं। रैस्पो0 इसका खण्डन करतें हैं। हम पाते हैं कि अपीलांट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित होता हो कि प्रकरण में दामोदर की मृत्यु दौराने दावा हुयी। अधीनस्थ न्यायालय की

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि दामोदर पुत्र भूरी सिंह की मृत्यु दिनांक 10.07.2011 को हुयी। जबकि दावा, वादी/अपीलाण्ट ने दिनांक 28.11.2011 को प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट है कि वादी/अपीलाण्ट ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया कोई भी मुकदमा शून्य है और यदि कोई कार्यवाही शुरू से ही शून्य है, तो इसे धारा 151 सीपीसी के साथ पठित आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करने से नहीं बचा जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में, आदेश 22 नियम 4 के तहत आवेदन विचारणीय नहीं है। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2012 यथावत रखें जातें हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर